भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3187

दिनांक 22 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कार्यकारी शक्तियां

3187. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष और नगरपालिका समिति अध्यक्ष की पदविहित कार्यकारी शक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव के जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच और नगरपालिका समिति के अध्यक्ष को भी समान कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पंचायती राज में ग्रामसभा का महत्त्व क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान हर साल होने वाली ग्रामसभाओं की दादरा और नगर हवेली सहित राज्य-वार कितनी बैठकें हुई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) और (ख) 'पंचायतें और नगरपालिकाएं', 'स्थानीय शासन' होने के कारण, राज्य के विषय हैं और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची का हिस्सा हैं। 'पंचायतें' संविधान के भाग IX द्वारा और 'नगरपालिकाएं' भाग IXक द्वारा शासित होती हैं जिनके प्रावधान परस्पर अलग-अलग हैं। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व भाग IX के अनुच्छेद 243छ से निर्गत होते हैं जिसमें यह प्रावधान है कि राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और

प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों। तदनुसार, ग्राम सरपंच और जिला पंचायत अध्यक्ष की कार्यकारी शक्तियां संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज अधिनियमों द्वारा शासित होती हैं। चूँकि ये शक्तियां विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होती हैं, ऐसे ब्यौरों का रख-रखाव केंद्र स्तर पर नहीं किया जाता है।

(ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243क के अनुसार, ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित किए जाएं। तदनुसार, संबंधित राज्य के पंचायती राज अधिनियमों में ग्राम सभाओं द्वारा बैठकों की न्यूनतम संख्या के लिए प्रावधान किए गए हैं। पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए, ग्राम सभाएं, सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन सहित जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रत्येक वर्ष होने वाली ग्राम सभाओं की बैठकों की संख्या के ब्यौरों का रख-रखाव केंद्र स्तर पर नहीं किया जाता क्योंकि ये बैठकें संबंधित पंचायती राज अधिनियमों द्वारा निर्देशित होती हैं और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग होती हैं।

****